न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 85 / 2020

अनवान : –

1. प्रियंका पुत्री हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. सरोज पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास माधोसिंघाना तहसील व जिला सिरसा।
2. मंजू पुत्री हरीसिंह पत्नी राजेश जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर हाल निवास काबरेल तहसील व जिला हिसार
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 26/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाला स0 114 / 437 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व खाता स0 115 / 95 की कुल 12.1540 हैक्ट भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीया स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1 / 15 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में हजारी पुत्र जीता के नाम दर्ज थी। हजारी से उक्त भूमि हरिसिंह यानि की प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 का जन्मजात हक हिस्सा था एवं उक्त भूमि सायला व गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हो गयी लेकिन सरोज यानि की गैरसायल स0 1 द्वारा माधोसिंघाना के देवकरण से दुसरी शादी कर ली गई है इसलिए गैरसायल स0 1 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है एवं सायल व गैरसायल स0 2 प्रत्येक 1 / 10 हिस्सा भूमि दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। गैरसायल स0 1 द्वारा दुसरी शादी कर ली गई है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गेरसायल स0 1 के नाम 1 / 15 हिस्सा दर्ज है जिससे गैरसायल स0 1 रहन, बैय करना चाहती है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायला स0 1 क खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:57:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज [illegible] किया गया। रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता स0 114 / 437 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व खाता स0 115 / 95 की 12.1440 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 इस आ[illegible] जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता एक बेवा अनपढ़ महिला है एवं परिवार के लालन पालन का एक मात्र सहारा यह कृषि भूमि है एवं सायल स्वयं देवेन्द्र कुमार के साथ लिवइन में रह रही है एवं प्रार्थीयष को परिवार एव चल व अचल सम्पति से बेदखल किया जा चुका है। उक्त भूमि में वादीया का कोई हक हिस्सा नही है इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज थी उनके बाद प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के द्वारा अन्यत्र शादी कर ली गई है इसलिए प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि की प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 हकदार है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा अन्यत्र शादी कर ली गई है एवं अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा है या नही का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 2 विवादित अराजी का काश्तकार है। प्रार्थीया का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बेच [illegible] असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:57:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता स0 114/437 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व खाता स0 115/95 की 12.1440 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक अप्रार्थी स0 1 वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:57:25 IST
Reason: SelfAttested